अध्याय II : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

2.1 ₹1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय

मंत्रालय की समय पर एक उपयुक्त आरक्षित कीमत निर्धारित करने में विफलता तथा जलयान *मत्स्य सुगंधी* की निपटान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब का परिणाम ₹1.14 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। निपटान में विलम्ब से जलयान के मूल्यह्रास होने के कारण मंत्रालय को जलयान की कम कीमत प्राप्त होने का कारण भी बना।

भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने अपने कोची बेस पर मत्स्य पालन प्रचालनों के परिनियोजन हेतु 1980 में अपने बेड़े में एक जलयान - *मत्स्य सुगंधी* - को शामिल किया। जनवरी 2007 में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) ने, इएफसी की विवेचना के आधार पर, इस जलयान को विघटन हेतु पहचान किया। मई 2010 में, मंत्रालय ने जलयान के विघटन तथा निपटान अथवा अन्यथा पर निर्णय लेने के लिए अनिवार्य जलयान के सभी पहलुओं की जांच हेतु एक तकनीकी समिति (टीसी) का गठन किया। टीसी ने जलयान की खराब हालत को देखते हुए तथा इस तथ्य के कारण कि मशीनरी पुरानी तथा गतावधिक थी जिससे इस पर कोई भी मरम्मत अलाभकारी तथा कठिन है, जलयान के विघटन की सिफारिश की (दिसंबर 2010)। उसने ₹70 लाख की आरक्षित कीमत की भी सिफारिश की। तदनुसार, अप्रैल 2011 में, मंत्रालय ने जलयान के विघटन तथा सिफारिश की गई आरक्षित कीमत पर इसके निपटान का अनुमोदन दिया।

जलयान के निपटान से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने निम्नलिखित प्रकट (अप्रैल 2019) किया:-

(ए) टीसी ने ₹70 लाख की आरक्षित कीमत की सिफारिश की (03 दिसंबर 2010) तथा अभिलेखित किया कि यह *मत्स्य विश्व* - एफएसआई का एक जलयान, जिसे 2009 में बेचा गया था, की विक्रय कीमत तथा एक परामर्श फर्म की निर्धारण रिपोर्ट पर आधारित थी। हालांकि उसने यह, इस पर विस्तार से नहीं बताया था कि ₹70 लाख की आरक्षित कीमत को प्राप्त करने

हेतु कैसे यह बैंचमार्क लागू किये गए थे क्योंकि अन्य जलयान की विक्रय कीमत (कर घटा कर) केवल ₹62.16 लाख थी। इसके अतिरिक्त, परामर्शी फर्म ने *मत्स्य-सुगंधी* की बाजार कीमत ₹52-54 लाख के बीच होना निर्धारित (सितम्बर 2010) की थी। तत्पश्चात, अगस्त 2011 से नवम्बर 2014 तक हुए नीलामी तथा ई-नीलामी के कई दौरों में भी नीलामी में केवल ₹23.28 लाख से ₹31.75 लाख की कीमत के साथ आरक्षित कीमत की आधा भी प्राप्त नहीं कर सकी थी। मई 2015 में, मंत्रालय ने टीसी के पुनगर्ठन के साथ-साथ जलयान की आरक्षित कीमत की समीक्षा की। टीसी ने देरी से ही सही, 2010 में परामर्शदाता द्वारा किए गए मूल्यांकन को अपनाया तथा कम किए गए मूल्यांकन पर मूल्यह्रास के लेखाकंन के पश्चात आरक्षित कीमत का ₹31 लाख तक नीचे की ओर संशोधन किया। तथापि, एमएसटीसी द्वारा कम की गई आरक्षित कीमत पर फरवरी 2016 से जुलाई 2016 तक की गई ई-नीलामी में सबसे अधिक प्राप्त बोली केवल ₹13 लाख की थी। बाद में, नवम्बर 2018 में एक अन्य टीसी ने चार वर्षों के मूल्यह्रास का समायोजन करने के पश्चात ₹16.18 लाख पर आरक्षित कीमत को पुनर्निधारित किया। जलयान को अंत में ₹17.76 लाख में बेचा गया (जून 2019)। यह दर्शाता है कि एफएसआई ने आरक्षित कीमत का निर्धारण करते समय किसी स्पष्टता तथा औचित्य के आधार पर कार्रवाई नहीं की थी। अगस्त 2011 से नवम्बर 2014 तक हुई नीलामी के दौरान कीमत का आरक्षित कीमत से काफी कम होने की बार-बार प्राप्ति तथा बोलीकर्ताओं से आरक्षित कीमत पर आपत्तियों के बावजूद भी एफएसआई/मंत्रालय ने मई 2015 तक आरक्षित कीमत की समीक्षा नहीं की थी। यह केवल 2019 में ही, जब आरक्षित कीमत को मूल कीमत से लगभग एक चौथाई तक कम कर दी गई थी, तभी एफएसआई जलयान का निपटान करने में समर्थ हुआ।

(बी) एफएसआई तथा मंत्रालय द्वारा टीसी के गठन, निपटान के लिए अनुमोदन, आरक्षित कीमत का निर्धारण एवं समीक्षा के संबंध में तथा विशिष्ट नीलामियों पर निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब था। इसे नीचे विस्तार से **तालिका सं. 1** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका सं. 1: एफएसआई तथा मंत्रालय द्वारा असाधारण विलम्ब

क्र.सं.	अवसर	विलम्ब
1.	उस समय जब 2007 में जलयान के विघटन हेतु पहचान की गई थी, से विघटन करने तक तथा आरक्षित कीमत को निर्धारित करने हेतु अनुमोदन	51 माह
2.	पहली एवं दूसरी निविदा (अगस्त 2011 से फरवरी 2013)	18 माह
3.	दूसरी तथा तीसरी निविदा (फरवरी 2013 से नवम्बर 2014)	21 माह
4.	तीसरी तथा चौथी निविदा (नवम्बर 2014 से फरवरी 2016)	16 माह
5.	टीसी का पुनर्गठन (सितंबर 2016 से मार्च 2019)	30 माह
	कुल विलम्ब	136 माह

(सी) मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958, के अनुसार, जलयानों को उनके अंतिम निपटान तक सुरक्षित रूप से संचालित किया जाना था। अप्रैल 2012 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान एफएसआई ने विघटन किए गए जलयान के अनुरक्षण पर वेतन, ईंधन, कलपुर्जे आदि पर ₹1.14 करोड़ का व्यय किया। उपर्युक्त विलम्बों के संदर्भ में, जिसने व्यय में वृद्धि को बढ़ावा दिया, परिहार्य था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आरक्षित कीमत के निर्धारण तथा बोलियों के मूल्यांकन करते समय मंत्रालय ने जलयान का शीघ्रता से निपटान करके ऐसे व्यय से बचने या इसे कम करने की आवश्यकता पर अपर्याप्त विचार किया था।

मंत्रालय/एफएसआई ने अपने उत्तर (नवम्बर 2019) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उजागर किया है कि जलयान का अनुरक्षण तथा संचालन किया जाना अनिवार्य था जिससे कि जलयान को डूबने तथा बह जाने से बचाया जा सके तथा इसलिए इस कारण व्यय अपरिहार्य था, निम्न बोली कीमत गुटबंदी के कारण थी, तथा आरक्षित कीमत में कटौती जलयान की स्टील प्लेटों तथा संरचना में जंग के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुरक्षण पर व्यय विधि के अनुसार अपेक्षित था, फिर भी इसे जलयान के निपटान की शीघ्र

कार्रवाई द्वारा कम किया जा सकता था। आगे, निम्न बोलियों के कारणों का विश्लेषण न तो अभिलेख में थे न ही संदिग्ध गुटबंदी का निपटान करने हेतु कोई कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, आरक्षित कीमतों का निर्धारण करने तथा बोली प्रक्रिया को संभालने के संबंध में मंत्रालय का समग्र दृष्टिकोण में कमियां थीं।

इस प्रकार, मंत्रालय/विभाग की सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात उपयुक्त आरक्षित कीमत का निर्धारण करने में विफलता, आरक्षित कीमत की समीक्षा एवं संशोधन करने में शीघ्र एवं सामयिक कार्रवाई करने की कमी तथा निर्णय लेने तथा निविदा प्रक्रिया में लम्बे विलम्ब का परिणाम जलयान के संचालन तथा उसके अनुरक्षण पर किए गए ₹1.14 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। निपटान में 12 वर्षों से अधिक समय का दीर्घकालीन विलम्ब मंत्रालय को काफी कम कीमत प्राप्त होने का भी कारण बना क्योंकि इसी बीच इसके प्रभाव में जलयान की कीमत रद्दी माल तक कम हो गयी थी।

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुंबई

2.2 ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माईक्रोस्कोप की गैर मरम्मत/प्रतिस्थापन के कारण ₹2.36 करोड़ का निष्फल व्यय

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मुंबई में प्रदत्त ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप (टीइएम) का परिणाम ₹2.36 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ क्योंकि माइक्रोस्कोप में खामियों को आपूर्तिकर्ता द्वारा सात वर्षों से अधिक समय के बीत जाने के पश्चात भी सुधारा नहीं गया था।

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान (सीआईएफई) (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान) ने अपने भारतीय ऐजेंट मैसर्स फॉरवीजन इन्स्ट्रूमेन्ट प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद (ऐजेंट) के माध्यम से मैसर्स हीताची हाई-टेक्नोलोजिस, सिंगापुर (आपूर्तिकर्ता) को ₹3.03 करोड़ जपानी येन (जेपीवाई) की लागत पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कॉप (टीइएम) के प्रापण हेतु क्रय आदेश दिया (मार्च 2011)। आपूर्तिकर्ता ने प्रतिभूति जमा के प्रति ₹30.25 लाख जेपीवाई की बैंक गारंटी (16 नवम्बर 2011 से 15 अप्रैल 2013 तक वैध) प्रस्तुत की तथा सीआईएफई ने आपूर्तिकर्ता को ₹1.94 करोड़ का भुगतान किया

(दिसंबर 2011)। आपूर्तिकर्ता ने फरवरी 2012 में टीईएम की सुपुर्दिगी की जिसे ऐजेंट के पर्यवेक्षण में सीआईएफई में लगाया गया (अगस्त 2012) था। उपकरण की खरीद तथा संस्थापन पर किया गया कुल व्यय ₹2.36 करोड़ था।

सीआईएफई ने ऐजेंट को शिकायत (दिसंबर 2012 तथा जनवरी 2013) की कि टीईएम के ऊतक वर्गों से की कोई छवि प्राप्त नहीं हो रही थी तथा मशीन केवल एक नोट उत्पन्न कर रही थी कि सीसीडी कैमरा साफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसने यह भी सूचित किया कि उपकरण के कुछ पूर्जों में जंग लग रहा था। बैटरी तथा कैमरे में भी समस्याएं आने लगी जैसा लॉग बुक में दर्शाया (अक्टूबर तथा दिसंबर 2012) गया था। यद्पि ऐजेंट की ओर से इंजीनियरों के साथ आपूर्तिकर्ता की ओर से क्रय प्रबंधक ने सीआईएफई का दौरा (मार्च-अप्रैल 2013) किया था, फिर भी टीईएम में समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सका था। कैमरा उत्पादक के इंजीनियर ने भी सीआईएफई का दौरा (मई 2013) किया था और कैमरे को मरम्मत के लिए यूएसए भेजा (अक्टूबर 2013)। कैमरे की मरम्मत के पश्चात टीईएम में इसको दोबारा लगाने (फरवरी 2014) के दौरान ईवीएसी प्रणाली में असफलता पाई गयी थी। संयुक्त बैठक (मई 2014) में ऐजेंट क्षत-विक्षत/क्षतिग्रस्त हुए भागों को प्रतिस्थापित करने तथा छः महीनों के भीतर अर्थात नवम्बर 2014 तक टीईएम को चालू करने को सहमत हुआ।

महाप्रबंधक ने आपूर्तकर्ता से एक इंजीनियर के साथ मशीन का निरीक्षण किया (अगस्त-सितम्बर 2014) तथा समस्याओं की पहचान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) टीईएम कक्ष में अधिक नमी (30-60 प्रतिशत की सिफारिश की गई रेंज के प्रति 80 प्रतिशत), (ii) रात को उच्च तापमान (अपेक्षित 15-23 डिग्री के प्रति 30 डिग्री), (iii) टीइएम कक्ष में प्रतिक्रियीशील गैस/रसायनों के अंतः प्रवेश आदि। लेखापरीक्षा ने सीआईएफई की बैठकों के कार्यवृत्त तथा पत्राचारों से पाया कि ऐजेंट तथा आपूर्तिकर्ता की ओर से इंजीनियरों ने कई बार टीईएम की जांच की थी परंतु सितंबर 2014 तक (अर्थात शिकायत से डेढ़ वर्ष के पश्चात) भी उपर्युक्त समस्याओ की पहचान नहीं कर सके थे। लंबे पत्राचार के पश्चात ऐजेंट जापान में आपूर्तिकर्ता की फैक्टरी में मुफ्त में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत/प्रतिस्थापित करने तथा इसे चालू करने को सहमत हुआ

(मार्च 2017)। तथापि, टीईएम की न तो मरम्मत की गई थी और न ही इसे ऐजेंट द्वारा लिया गया था (मार्च 2019)।

इस प्रकार, मशीन को गैर क्रियात्मक सूचित किए जाने के 76 महीनों से अधिक समय के पश्चात भी आपूर्तिकर्ता अथवा इसका ऐजेंट टीईएम की मरम्मत/प्रतिस्थापन कर नहीं सका था (मार्च 2019)। सीआईएफई प्रतिभूति जमा को जब्त करने, तथा कोई भी कानूनी कार्रवाई करने तथा फर्मों को काली सूची में डालने में भी विफल रहा। सीआईएफई की आपूर्तिकर्ता/ऐजेंट को राजी करने में विफलता का परिणाम ₹2.36 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2019) कि मामले को उपकरण के आपूर्तिकर्ता तथा ऐजेंट के साथ मरम्मत हेतु कई बार उठाया गया था परंतु आपूर्तिकर्ता/ऐजेंट द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि वे फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे है तथा उन्होंने आपूर्तिकर्ता को सूचित (जून 2019) किया है कि वे फर्म को भारत में अपने उत्पादन को बेचने से काली सूची में डालने के लिए मामले को भारत सरकार के साथ उठाऐंगे।

मामला अगस्त 2019 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।